

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली - प्रार्थी

बनाम

1. रामसहाय पुत्र चतरु गुंसाई, निवासी चैनपुर
2. लालाराम पुत्र राजपाल मीना नि. चैनपुर
3. शिवप्रसाद पुत्र राजपाल मीना नि. चैनपुर
4. यशपाल सिंह मैनावत पुत्र मुंशीलाल मीना नि. गुलाब बाग, करौली - अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-05.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि लैण्डहोल्डर तहसीलदार मासलपुर द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अंतर्गत यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.06.1976 को रामसहाय पुत्र चतरु गुंसाई को ग्राम चैनपुर ख.नं. 710 रकबा 797 बीघा 10 विस्वा किस्म बंजड 2 में से 5 बीघा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित हुई थी जिसका वर्तमान खसरा नं. 710/1476 है। उक्त आवंटी को जरिये नामांतरण संख्या 6 दिनांक 31.10.1977 के तहत गैरखातेदारी दी गई थी। उक्त आवंटी का कब्जा नहीं होने एवं आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के उपरांत भी आवंटी को नामांतरण संख्या 228 दिनांक 12.03.1986 से गलत रूप से खातेदारी दे दी गई। इसके पश्चात् मूल आवंटी द्वारा दिनांक 02.03.2012 जरिये वयनामा उक्त भूमि लालाराम पुत्र राजपाल हि. 1/2, शिवप्रसाद पुत्र राजपाल हि. 1/2 जाति मीना नि. चैनपुर को हस्तांतरित कर दी गई जिसका नामांतरण संख्या 910 दिनांक 05.03.2012 को स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् लालाराम पुत्र राजपाल, शिवप्रसाद पुत्र राजपाल मीना ने वर्तमान खातेदारी को जरिये वयनामा पुनः भूमि यशपालसिंह मैनावत पुत्र मुंशीलाल मीना नि. गुलाब बाग करौली को हस्तांतरित कर दी गई जिसका नामांतरण संख्या 1037 दिनांक 05.05.2015 को स्वीकृत हुआ है। मूल आवंटी एवं उसके पश्चातवर्ती खातेदारान का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अंत में रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर खातेदारी निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नामांतरण संख्या 06 दिनांक 31.10.1977, 228/12.03.1986, 910/05.03.2012, 1037/05.05.2015 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73, खसरा गिरदावरी संवत् 2070-73 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थीयान ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मद संख्या 1 में अंकित अप्रार्थी रामसहाय के हक में ग्राम चैनपुर में खसरा नंबर 710 में से 5 बीघा भूमि का कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत विधि अनुसार आवंटन होना एवं उक्त आवंटित भूमि का खसरा नंबर 710/1476 होना स्वीकार है। आवंटन पूर्णतया विधिवत् है एवं सही है। मद संख्या 2 में अंकित आवंटी रामसहाय पुत्र चतरु गुंसाई के हक में नामान्तरण संख्या 6 के द्वारा गैरखातेदारी होना स्वीकार है। पैरा नंबर 3 में आवंटी रामसहाय के हक में विधि अनुसार नामान्तरण संख्या 228 दिनांक 12.03.1986

के द्वारा विधि अनुसार खातेदारी अधिकार दिया जाना स्वीकार है। बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। आवंटन सही व विधिवत् हुआ है। आवंटी का भूमि पर कब्जा रहा है। आवंटी ने आवंटन की पालना की है और आवंटी के हक में 10 साल के अर्सा में विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया है जो राजस्व कैम्प मासलपुर में गैर खातेदारी से खातेदारी आमजन के समक्ष प्रदान की गई है। पटवारी द्वारा नामांतरकरण भरा गया है, निरीक्षक द्वारा तुलना की गई है और तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है तथा आवंटी के हक में खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में किये गये हैं। तहसीलदार ने मनगढन्त असत्य तथ्य दर्ज करते हुए यह रेफरेन्स गलत तौर पर अवैध तौर पर आवंटन के 41 साल बाद एवं खातेदारी मिलने के 31 साल बाद पेश किया है जो विधिवत् विधि सम्मत नहीं है। असाधारण देरी से है। रीजनेबल नहीं है एवं स्वयं तहसीलदार ने ही खातेदारी प्रदान की है। तहसीलदार इससे बाध्य है एवं तहसीलदार मासलपुर द्वारा अप्रार्थी यशपाल के आवेदन पर खसरा नंबर 710/1476 की राजस्व नक्शाशीट में आम रास्ते के सहारे तरमीम किये जाने को भू-प्रबंध विभाग को दिनांक 12.08.16 के दिवस आवेदन मय नक्शा भेजा गया है जिसको भू-मापक/ निरीक्षक को रिकॉर्ड में अमल करने का दिनांक 17.08.2016 के दिवस आदेश किया है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। साथ में नक्शा तरमीम स्थल की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत है। इस स्थिति से भी स्पष्ट है कि तहसीलदार मासलपुर द्वारा उक्त दिवस अप्रार्थी यशपाल का कब्जा होना तरमीम किये जाने हेतु स्वीकृत तथ्य है। इतना पुराना आवंटन व खातेदारी अधिकार के बाबत् रेफरेन्स अंदर अवधि नहीं होने से भी इसी स्तर पर न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने योग्य है। मद नं0 4 में आवंटी रामसहाय द्वारा खातेदारी होने से 26 साल बाद आवंटन के 36 साल बाद आवंटित भूमि को अप्रार्थी लालाराम एवं शिवप्रसाद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 02.03.2012 को विक्रय कर कब्जा दिया है और उक्त क्रेतागण ने कब्जा प्राप्त किया है और तहसीलदार द्वारा सब रजिस्ट्रार की हैसियत से वयनामा पंजीयन किया है। नामांतरकरण संख्या 910 दिनांक 05.03.2012 को तस्दीक हुआ है। खातेदारी इन्द्राज क्रेता के हक में हुए हैं। वयनामा से कब्जा दिये जाने का तथ्य है। विधि अनुसार विक्रय पत्र हुआ है। विधि अनुसार नामांतरकरण हुआ है। मद नं. 5 में लालाराम एवं शिवप्रसाद अप्रार्थी द्वजरा ख.नं. 710/1476 की 5 बीघा भूमि का विक्रयपत्र अप्रार्थी यशपाल मैनावत के हक में पंजीयन कराया जाना और यशपाल मैनावत के हक में नामान्तरकरण 1037 दिनांक 05.05.2015 तस्दीक किया जाना स्वीकार है। उक्त वयनामा एवं नामान्तरकरण विधिवत् है सही है। वयनामा कीमती तीन लाख रुपये है एवं वयनामा में विक्रेतागण द्वारा क्रेता को कब्जा भूमि पर दिया जाना वर्णित है। वयनामा तहसीलदार मासलपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। तहसीलदार मासलपुर उप पंजीयक भी है। तहसीलदार मासलपुर बाध्य है। और वर्तमान में भूमि पर कब्जा यशपाल मैनावत का है। उक्त भूमि आवंटी के कब्जे में रही है उसके बाद लालाराम वगैरहा के कब्जा में रही है। उसके बाद यशपाल के कब्जे में है। आवंटन 1976 का है और 41 साल तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, जिसका कोई उचित कारण आवेदन में दर्ज नहीं किया है। 41 साल की असाधारण देरी से है जिसका कोई उपयुक्त कारण नहीं है। विकल्प सहायता उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है और न्यायालय हाजा द्वारा इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र पेशकर्ता तहसीलदार मासलपुर अस्वीकार किये जाने योग्य है। मद नं. 6 में तहसीलदार द्वारा आवंटी का कब्जा नहीं होना, क्रेतागण का कब्जा नहीं होना असत्य व मनगढन्त दर्ज किया है। कोई उचित कारण प्रार्थना पत्र में रेफरेन्स बाबत् दर्ज नहीं है। मात्र तकनीकी आधार पर 41 साल पूर्व हुआ आवंटन रेफरेन्स द्वारा कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह सुस्थापित विधि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की हुयी है। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का अंतिम पैरा बाबत् सहायता है। तहसीलदार मासलपुर न्यायालय श्रीमान् से चाही गई

सहायता प्राप्त करने का विधि अनुसार अधिकारी नहीं है। न्यायालय हाजा को इस रेफरेन्स आवेदन के द्वारा खातेदारी निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त प्रकरण में दो बार भूमि बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हो चुका है। क्रेता पक्ष सद्भावी क्रेता है। उचित प्रतिफल (भूमि मूल्य) क्रेता पक्ष द्वारा विक्रेता पक्ष को दिया गया है। आवंटन पूर्णतया विधिसम्मत है। आवंटी भूमिहीन रहा है। आवंटित भूमि आवंटन किये जाने योग्य रही है। तहसीलदार मासलपुर ने दुर्भावनापूर्वक यह रेफरेन्स कार्यवाही अप्रार्थी यशपाल सिंह मैनावत से रंजिश रखने वाले ग्राम चैनपुर के व्यक्तियों के बहकावे में आकर प्रस्तुत की है। तहसीलदार ने पटवारी हल्का से असत्य मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अप्रार्थीगण को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये तैयार कराकर यह रेफरेन्स आवेदन पेश किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। राजस्व विभाग आवंटन के बाद नियमानुसार गैरखातेदारी एवं खातेदारी नामांतरकरण तस्दीक करता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 23.10.2017 से ही स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को कोई नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर अप्रार्थीगण को नहीं दिया गया है। ऐसी एक पक्षीय रिपोर्ट मौका पर तहसीलदार की, की जाने वाली कार्यवाही पूर्णतया दूषित है। विधि सम्मत नहीं है। रेफरेन्स सन् 2012 तक क्यों नहीं की, कोई उपयुक्त कारण नहीं है और रेफरेन्स कार्यवाही आवेदन अस्वीकार किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गैर खातेदारी एवं खातेदारी के नामांतरकरण भरकर पेश किये गये हैं गिरदावर द्वारा तुलना की गई है एवं वयनामों के नामांतरकरण भी इन्हीं के द्वारा किये गये हैं जिससे वह कानूनन बाध्य हैं। खातेदारी अधिकार प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं है। 41 साल रेफरेन्स विधि अनुसार मियाद बाहर है और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। कोई अवैधता आवंटन में नहीं है खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने में नहीं है। आवंटन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं रेफरेन्स मेनटेनेबिल नहीं है। 10 साल में स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवंटन नियम विरुद्ध नहीं है आवंटन सही है विधिवत है। रेफरेन्स आवेदन से ही स्पष्ट है कि खातेदारी होने पर आवंटी को भूमि हस्तांतरण अधिकार है। रेफरेन्स आवेदन असाधारण देरी से है। आवेदन सही नहीं है और मनमाने तौर पर पेश किया गया है और उपयुक्त भी नहीं है और उपयुक्त समय में भी नहीं है। आवेदन पूर्णतया अवैध है। अप्रार्थी यशपाल द्वारा भूमि खरीदने के कारण चैनपुर के कुछ व्यक्तियों ने पटवारी व तहसीलदार से मिलकर गलत तौर पर यह रेफरेन्स प्रस्तुत कराया है। अंत में रेफरेन्स को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया है कि दिनांक 15.06.1976 को रामसहाय पुत्र चतरु गुंसाई को ग्राम चैनपुर ख.नं. 710 रकबा 797 बीघा 10 विस्वा किस्म बंजड 2 में से 5 बीघा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित हुई थी जिसका वर्तमान खसरा नं. 710/1476 है। उक्त आवंटी को जरिये नामांतरकरण संख्या 6 दिनांक 31.10.1977 के तहत गैरखातेदारी दी गई थी। उक्त आवंटी का कब्जा नहीं होने एवं आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के उपरांत भी आवंटी को नामांतरकरण संख्या 228 दिनांक 12.03.1986 से गलत रूप से खातेदारी दे दी गई। इसके पश्चात् मूल आवंटी द्वारा दिनांक 02.03.2012 जरिये वयनामा उक्त भूमि लालाराम पुत्र राजपाल हि. 1/2, शिवप्रसाद पुत्र राजपाल हि. 1/2 जाति मीना नि. चैनपुर को हस्तांतरित कर दी गई जिसका नामांतरकरण संख्या 910 दिनांक 05.03.2012 को स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् लालाराम पुत्र राजपाल, शिवप्रसाद पुत्र राजपाल मीना ने वर्तमान खातेदारी को जरिये वयनामा पुनः भूमि यशपालसिंह मैनावत पुत्र मुंशीलाल मीना नि. गुलाब बाग करौली को हस्तांतरित कर दी गई जिसका नामांतरकरण

संख्या 1037 दिनांक 05.05.2015 को स्वीकृत हुआ है। मूल आवंटी एवं उसके पश्चातवर्ती खातेदारान का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अंत में रैफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर खातेदारी निरस्तीकरण की कार्यवाही करने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी रामसहाय के हक में ग्राम चैनपुर में खसरा नंबर 710 में से 5 बीघा भूमि का कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत विधि अनुसार आवंटन होना एवं उक्त आवंटित भूमि का खसरा नंबर 710/1476 होना स्वीकार है। आवंटन पूर्णतया विधिवत् है एवं सही है। आवंटी रामसहाय पुत्र चतरू गुंसाई के हक में नामान्तरकरण संख्या 6 के द्वारा गैरखातेदारी होना स्वीकार है। आवंटी रामसहाय के हक में विधि अनुसार नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 12.03.1986 के द्वारा विधि अनुसार खातेदारी अधिकार दिया जाना स्वीकार है। बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। आवंटन सही व विधिवत् हुआ है। आवंटी का भूमि पर कब्जा रहा है। आवंटी ने आवंटन की पालना की है और आवंटी के हक में 10 साल के अर्सा में विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया है जो राजस्व कैम्प मासलपुर में गैर खातेदारी से खातेदारी आमजन के समक्ष प्रदान की गई है। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण भरा गया है, निरीक्षक द्वारा तुलना की गई है और तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है तथा आवंटी के हक में खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में किये गये हैं। तहसीलदार ने मनगढन्त असत्य तथ्य दर्ज करते हुए यह रेफरेन्स गलत तौर पर अवैध तौर पर आवंटन के 41 साल बाद एवं खातेदारी मिलने के 31 साल बाद पेश किया है जो विधिवत् विधि सम्मत नहीं है। असाधारण देरी से है। रीजनेबल नहीं है एवं स्वयं तहसीलदार ने ही खातेदारी प्रदान की है। तहसीलदार इससे बाध्य है एवं तहसीलदार मासलपुर द्वारा अप्रार्थी यशपाल के आवेदन पर खसरा नंबर 710/1476 की राजस्व नक्शाशीट में आम रास्ते के सहारे तरमीम किये जाने को भू-प्रबंध विभाग को दिनांक 12.08.16 के दिवस आवेदन मय नक्शा भेजा गया है जिसको भू-मापक/निरीक्षक को रिकॉर्ड में अमल करने का दिनांक 17.08.2016 के दिवस आदेश किया है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। साथ में नक्शा तरमीम स्थल की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत है। इस स्थिति से भी स्पष्ट है कि तहसीलदार मासलपुर द्वारा उक्त दिवस अप्रार्थी यशपाल का कब्जा होना तरमीम किये जाने हेतु स्वीकृत तथ्य है। इतना पुराना आवंटन व खातेदारी अधिकार के बाबत् रेफरेन्स अंदर अवधि नहीं होने से भी इसी स्तर पर न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने योग्य है। मद नं0 4 में आवंटी रामसहाय द्वारा खातेदारी होने से 26 साल बाद आवंटन के 36 साल बाद आवंटित भूमि को अप्रार्थी लालाराम एवं शिवप्रसाद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 02.03.2012 को विक्रय कर कब्जा दिया है और उक्त क्रेतागण ने कब्जा प्राप्त किया है और तहसीलदार द्वारा सब रजिस्ट्रार की हैसियत से वयनामा पंजीयन किया है। नामान्तरकरण संख्या 910 दिनांक 05.03.2012 को तस्दीक हुआ है। खातेदारी इन्द्राज क्रेता के हक में हुए हैं। वयनामा से कब्जा दिये जाने का तथ्य है। विधि अनुसार विक्रय पत्र हुआ है। विधि अनुसार नामान्तरकरण हुआ है। मद नं. 5 में लालाराम एवं शिवप्रसाद अप्रार्थी द्वजरा ख.नं. 710/1476 की 5 बीघा भूमि का विक्रयपत्र अप्रार्थी यशपाल मैनावत के हक में पंजीयन कराया जाना और यशपाल मैनावत के हक में नामान्तरकरण 1037 दिनांक 05.05.2015 तस्दीक किया जाना स्वीकार है। उक्त वयनामा एवं नामान्तरकरण विधिवत् है सही है। वयनामा कीमती तीन लाख रुपये है एवं वयनामा में विक्रेतागण द्वारा क्रेता को कब्जा भूमि पर दिया जाना वर्णित है। वयनामा तहसीलदार मासलपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। तहसीलदार मासलपुर उप पंजीयक भी है। तहसीलदार मासलपुर बाध्य है और वर्तमान में भूमि पर कब्जा यशपाल मैनावत का है। उक्त भूमि आवंटी के कब्जे में रही है उसके बाद लालाराम वगैरहा के कब्जा में रही है। उसके बाद यशपाल के कब्जे में है। आवंटन 1976 का है और 41 साल तक कोई

कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, जिसका कोई उचित कारण आवेदन में दर्ज नहीं किया है। 41 साल की असाधारण देरी से है जिसका कोई उपयुक्त कारण नहीं है। विकल्प सहायता उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है और न्यायालय हाजा द्वारा इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र पेशकर्ता तहसीलदार मासलपुर अस्वीकार किये जाने योग्य है। मद नं. 6 में तहसीलदार द्वारा आवंटी का कब्जा नहीं होना, क्रेतागण का कब्जा नहीं होना असत्य व मनगढन्त दर्ज किया है। कोई उचित कारण प्रार्थना पत्र में रेफरेन्स बाबत दर्ज नहीं है। मात्र तकनीकी आधार पर 41 साल पूर्व हुआ आवंटन रेफरेन्स द्वारा कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह सुस्थापित विधि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की हुयी है। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का अंतिम पैरा बाबत सहायता है। तहसीलदार मासलपुर न्यायालय श्रीमान् से चाही गई सहायता प्राप्त करने का विधि अनुसार अधिकारी नहीं है। न्यायालय हाजा को इस रेफरेन्स आवेदन के द्वारा खातेदारी निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त प्रकरण में दो बार भूमि बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हो चुका है। क्रेता पक्ष सद्भावी क्रेता है। उचित प्रतिफल (भूमि मूल्य) क्रेता पक्ष द्वारा विक्रेता पक्ष को दिया गया है। आवंटन पूर्णतया विधिसम्मत है। आवंटी भूमिहीन रहा है। आवंटित भूमि आवंटन किये जाने योग्य रही है। तहसीलदार मासलपुर ने दुर्भावनापूर्वक यह रेफरेन्स कार्यवाही अप्रार्थी यशपाल सिंह मैनावत से रंजिश रखने वाले ग्राम चैनपुर के व्यक्तियों के बहकावे में आकर प्रस्तुत की है। तहसीलदार ने पटवारी हल्का से असत्य मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अप्रार्थीगण को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये तैयार कराकर यह रेफरेन्स आवेदन पेश किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। राजस्व विभाग आवंटन के बाद नियमानुसार गैरखातेदारी एवं खातेदारी नामांतरकरण तस्दीक करता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 23.10.2017 से ही स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को कोई नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर अप्रार्थीगण को नहीं दिया गया है। ऐसी एक पक्षीय रिपोर्ट मौका पर तहसीलदार की, की जाने वाली कार्यवाही पूर्णतया दूषित है। विधि सम्मत नहीं है। रेफरेन्स सन् 2012 तक क्यों नहीं की, कोई उपयुक्त कारण नहीं है और रेफरेन्स कार्यवाही आवेदन अस्वीकार किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गैर खातेदारी एवं खातेदारी के नामांतरकरण भरकर पेश किये गये हैं गिरदावर द्वारा तुलना की गई है एवं वयनामों के नामांतरकरण भी इन्हीं के द्वारा किये गये हैं जिससे वह कानूनन बाध्य हैं। खातेदारी अधिकार प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं है। 41 साल रेफरेन्स विधि अनुसार मियाद बाहर है और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। कोई अवैधता आवंटन में नहीं है खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने में नहीं है। आवंटन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं रेफरेन्स मेनटेनेबिल नहीं है। 10 साल में स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवंटन नियम विरुद्ध नहीं है आवंटन सही है विधिवत है। रेफरेन्स आवेदन से ही स्पष्ट है कि खातेदारी होने पर आवंटी को भूमि हस्तांतरण अधिकार है। रेफरेन्स आवेदन असाधारण देरी से है। आवेदन सही नहीं है और मनमाने तौर पर पेश किया गया है और उपयुक्त भी नहीं है और उपयुक्त समय में भी नहीं है। आवेदन पूर्णतया अवैध है। अप्रार्थी यशपाल द्वारा भूमि खरीदने के कारण चैनपुर के कुछ व्यक्तियों ने पटवारी व तहसीलदार से मिलकर गलत तौर पर यह रेफरेन्स प्रस्तुत कराया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4118/1998 उनवानी कालीचरण एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य में निर्णय पारित किया है कि Since the Additional Collector Dholpur and Board of Revenue exercised the powers after about 30 years, exercise of such powers is unjust and the impugned orders deserve to be quashed. इसी प्रकार एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 996/2003 उनवानी LR's of late Smt. Bismillah Versus State of Rajasthan & others में भी यह प्रावधान किया

गया है कि यद्यपि रेफरेन्स बनाने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन रेफरेन्स एक रीजनेबल टाइम में बनाया जाना चाहिये। जब फ़ॉड अथवा मिसरिप्रजेन्टेशन का कोई आरोप नहीं तो 35 साल बाद बनाया गया रेफरेन्स सस्टेनेबल नहीं है। अंत में रेफरेन्स को खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। आराजी खसरा नं. खसरा नं. 710/1476 रकबा 5-00 बीघा ग्राम चैनपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। उक्त आराजी आवंटी रामसहाय को आवंटित की जाकर दिनांक 31.10.1977 को गैरखातेदारी दी गई थी एवं तदनुसार नामांतरकरण स्वीकार किया गया था। आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने एवं आवंटन की शर्तों का पालना नहीं करने के बावजूद नामांतरकरण संख्या 6 दिनांक 12.03.1986 द्वारा गलत रूप से खातेदारी दे दी गई। इसके उपरांत मूल आवंटी द्वारा दिनांक 02.03.2012 जरिये वयनामा उक्त भूमि लालाराम पुत्र राजपाल हि. 1/2, शिवप्रसाद पुत्र राजपाल हि. 1/2 जाति मीना नि. चैनपुर को हस्तांतरित कर दी गई जिसका नामांतरकरण संख्या 910 दिनांक 05.03.2012 को स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् लालाराम पुत्र राजपाल, शिवप्रसाद पुत्र राजपाल मीना ने वर्तमान खातेदारी को जरिये वयनामा भूमि यशपालसिंह मैनावत पुत्र मुंशीलाल मीना नि. गुलाब बाग करौली को हस्तांतरित कर दी गई जिसका नामांतरकरण संख्या 1037 दिनांक 05.05.2015 को स्वीकृत हुआ है। मूल आवंटी एवं उसके पश्चातवर्ती खातेदारान का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है एवं ना ही मूल आवंटी, क्रेतागण अथवा वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कभी कब्जा रहने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण में चस्प्या नहीं होती हैं। इस प्रकार आवंटी एवं उत्तरोत्तर क्रेतागण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने एवं कब्जा होने बाबत् किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम चैनपुर की आराजी खसरा नंबर 710/1476 रकबा 5-00 बीघा भूमि को वापिस राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने की अभिशंषा की जाती है एवं ग्राम चैनपुर की आराजी खसरा नंबर 710/1476 रकबा 5-00 बीघा भूमि को वापिस राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज करने की स्वीकृति हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार मासलपुर को आदेश दिये जाते हैं कि गलत रूप से खातेदारी देने वाले अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भिजवायें। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को पालनार्थ भिजवाई जावे। उभयपक्षकारान् दिनांक 21.01.2019 को राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत हो।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

